न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :— जीसीएमएस नंबर 2023/136
मैन्युअल नंबर 121/2023

रजु दिनांकः :— 27.09.2023

1. फूली पत्नी पांचूराम पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी देवरी तहसील लवाण जिला दौसा (राज0)
2. दाखा पत्नी गोविन्द पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी रामजीपुरा पाटन तहसील तूंगा जिला जयपुर (राज0)
3. मन्नी पत्नी कन्हैयालाल पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी चित्रकूट कॉलोनी आगरा रोड जयपुर

(अपीलांटस)

बनाम

1. बदरी | पि0 जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी जगनेरतुर्कान
2. मदन | तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा (राज0)
3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा
4. उपपंजीयक रामगढ़ पचवारा जिला दौसा (राज0)

(रेस्पोडेन्टस)

उपस्थितः— 01. अपीलांटस की ओर से : श्री चन्द्रशेखर बैरवा एडवोकेट
02. रेस्पोडेन्टस की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांकः 11/02/26

अपील विरूद्व नामांतरण संख्या 409 दिनांक 13.01.2007 ग्राम जगनेर तुर्कान द्वारा तहसीलदार रामगढ पचवारा

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस की ओर से एक अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 409 दिनांक 13.01.2007 ग्राम जगनेर तुर्कान तहसील रामगढ पचवारा इस आशय की पेश की गई कि नामांतरण संख्या 409 दिनांक 13.01.2007 बाबत आराजी पुराना ख0नं0 107 रकबा 43 बीघा 17 बिस्वा नवीन ख0नं0 347/111, 349/111 कुल किता 2 कुल रकबा 3.5790 हैक्टेयर में मृतक जगन्नाथ के हिस्सा 1/3 की भूमि स्थित ग्राम जगनेर तुर्कान तह0 रामगढ पचवारा द्वारा कानूनी रूप से गलत खोला गया क्योंकि उक्त नामांतरण में कानूनी रूप से अपीलांटस को वारिस नही माना। मृतक जगन्नाथ के दो पुत्र व तीन पुत्रीयाँ होने के उपरांत भी हल्का पटवारी ने जानवूझकर अपीलांटस के नाम नामांतरण नहीं भरा और उन्हें वारिस भी नहीं माना। कानूनी प्रावधानानुसार मृतक की लडकियों का भी लडको के समान चल व अचल सम्पत्ति में अधिकार है लेकिन तहसीलदार रामगढ पचवारा ने इस तथ्य को छिपा कर प्रश्नगत

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

नामांतरण तस्दीक किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलांटस ने कथन किए है कि नामांतरण को स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अपीलांटस को न तो सुनवाई का अवसर दिया गया न ही वादग्रस्त आराजी के कब्जे की रिपोर्ट संबंधित कर्मचारी से ली गई जबकि अपीलांट्स का आराजीयात के अपने हिस्से पर कब्जा आज तक बरकरार है। इस प्रकार कथन करते हुए अपीलांटस ने प्रश्नगत नामांतरण को न्याय के सामान्य सिद्धांतो के विपरीत बताते हुए प्रश्नगत नामांतरण को निरस्तनीय करार दिया है।

अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश करते हुए प्रश्नगत नामांतरण संख्या 409 दिनांक 13.01.2007 तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा कैम्प विदरखां में स्वीकृत नामांतरण को निरस्त कर पुनः जाँच कर वारिसान के नाम नामान्तरण तस्दीक करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।

अपीलांटस की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रकरण में मूल नामांतरण अभिलेख तहसीलदार रामगढ पचवारा से तलब किया गया परंतु मूल अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ।

बरवक्त बहस अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 अनुपस्थित रहे अतः अधिवक्ता अपीलांटस की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए नामांतरण संख्या 409 दिनांक 13.01.2007 तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा कैम्प विदरखां में स्वीकृत नामांतरण को निरस्त कर पुनः जाँच कर वारिसान के नाम नामान्तरण तस्दीक करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता अपीलांटस की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा प्रश्नगत नामांतरण संख्या 409 दिनांक 13.01.2007 की प्रमाणित प्रति आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इसके उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलाण्टस की अपील स्वीकार किया जाना उचित है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 409 दिनांक 13.01.2007 ग्राम जगनेर तुर्कान तहसील रामगढ पचवारा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि दोनो पक्षो को साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिक वारिसान की जांच कर विधिक वारिसान के नाम नामांतकरण की कार्यवाही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11/02/26 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना, आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा